प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया

–::आदेश::–

माननीय उच्च न्यायालय, पटना का CWJC No-1091/2013 (महेश्वर मंडल एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक–31.07.2018 को पारित आदेश के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–876(8)/रा0, दिनांक–27.11.2018 के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के स्तर से रैयती भूमि के तत्संबंधित मामलों में पारित आदेश के कार्यान्वयन को स्थगित रखने का निदेश दिया गया था। पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 (सिविल) सं0–24289/2019 में पारित आदेश दिनांक–30.09.2019 एवं एतद् संबंधी विधि विभाग के माध्यम से विद्वान अधिवक्ता, बिहार से प्राप्त मंतव्य/परामर्श के आलोक में पूर्व निर्गत विभागीय पत्रांक–876(8)/रा0, दिनांक–27.11.2018 को वापस किया गया है तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–345–(8)/रा0, दिनांक–15.09.2021 के द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के प्रावधानान्तर्गत सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को अधिकृत मामले से संबंधित वादों की सुनवाई प्रारंभ करने एवं पूर्व के मामलो में पारित आदेशों के कार्यान्वयन का आदेश भी दिया गया है।

अतएव संबंधित मामले में प्रभावित पक्षकार यदि चाहें तो आयुक्त न्यायालय में दायर वैसे भूमि विवाद निराकरण विषयक अपील वाद जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना का CWJC No-1091/2013 (महेश्वर मंडल बनाम राज्य सरकार) में दिनांक–31.07.2018 को पारित आदेश विभागीय पत्रांक–876(8)/रा0, दिनांक–27.11.2018 के आलोक में कार्यवाही बंद की गई है, में वाद को पुनर्जीवित कर गुण–दोष के आधार पर युक्तियुक्त निष्पादन हेतु 15 दिनों के अन्दर आवेदन (Petition) दाखिल कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा समझा जायेगा कि अपीलार्थी को उक्त वाद के निष्पादन में अभिरूचि नहीं रह गयी है तथा उक्त आधार पर वाद को खारिज करने का निर्णय लिया जायेगा। एतदसंबंधी सूचना का भी प्रचार–प्रसार कराया जाय।

ह0/-

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक–02/न्या0–08–27/2013 3928 दिनांक 18/10/22

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को पत्रांक–345–(8)/रा0, दिनांक–15.09.2021 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ यथा इंस पत्र को प्रचारित कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आदेश का अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/10/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।